

न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील संख्या:-14/2019

चिम्मन सिंह पुत्र छिद्दा जाति जाट निवासी गुदावली तह0 नदबई जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार, नदबई

.....रेस्पोंडेंट

अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधि01956 विरुद्ध
आदेश ना0 तहसीलदार नदबई दिनांक 05.08.2019 प्रकरण
संख्या 03/2019

उपस्थित :-

- 1-श्री विमलसिंह अभि0 अपीलान्ट
- 2-राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट।

निर्णय

दिनांक 26.02.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राज0 भू-राजस्व अधिनियम विरुद्ध आदेश दिनांक 05.08.2019 नायब तहसीलदार नदबई इस आशय की प्रस्तुत की है कि तहत न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.08.2019 बिना कोई साक्ष्य सबूत लिए इकतरफा में पारित किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। वस्तुस्थिति यह है कि दौराने सैटलमेंट गत खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 92,93 में से 1-1 विस्वा एवं खसरा नम्बर 94 में से 3 विस्वा रकवा लेकर भू-प्रबंध विभाग ने खसरा नम्बर 135 रकवा 5 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया, जिसमें उक्त खसरा नम्बरान में अपीलान्ट के

.....2

(2)

खातेदारी नम्बर 92,93 के हैं, जबकि खसरा नम्बर 94 अन्य खातेदार का है। तहसील नदबई में पुनः सैटलमेंट होने के दौरान खसरा नम्बर 135 रकवा 5 बीघा से नया नम्बर 165 रकवा 0.4 है0 बनाया जाकर राजस्व रिकार्ड में नियमों के विपरीत गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया, जबकि मौके पर कोई रास्ता नहीं है। इस प्रकार भूप्रबंध विभाग को किसी खातेदार के खातेदारी के रकवा को कम ज्यादा करने का कोई अधिकार नहीं है। भूप्रबंध विभाग ने नियमों के विरुद्ध प्रार्थी के खातेदारी आराजी में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है, जो काबिल निरस्तनीय है।

भूप्रबंध विभाग द्वारा राजस्व रिकार्ड में किये गए गलत इन्द्राज के आधार पर अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 165 रकवा 0.04 हैक्टर में से 01 एयर रकवा ग्राम गुदावली पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल किये जाने सम्बन्धी अपीलाधीन आदेश विधि विरुद्ध है। भूप्रबंध विभाग द्वारा किये गए गलत इन्द्राज को कलमजन करने व अपीलान्त के खातेदारी रकवा को दुरुस्त कराने के लिए सक्षम न्यायालय एस0डी0ओ0 नदबई के न्यायालय में दावा दायर किया हुआ है जो अभी विचाराधीन है। साथ ही हलका पटवारी द्वारा मौके पर जाकर किसी भी प्रकार की कोई पैमाइस नहीं की गई है और नाहीं राजस्व रिकार्ड का कोई अवलोकन किया है। अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज के है। अन्त में अपीलान्त द्वारा निवेदन किया गया है कि तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.08. 2019 को निरस्त कर अपीलान्त को उसके हिस्से की आराजी खसरा नम्बर 165 रकवा 0.01 हैक्टर से बेदखल नहीं किया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोंडेण्ट के विरुद्ध नोटिस जारी किये गये एवं तहत पत्रावली तलब की गई, जो प्राप्त होने पर शामिल मिसिल है। पत्रावली पर योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने अपील में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि अपील में वर्णित साविक खसरा नम्बर 92, 93, 94 से क्रमशः 1,1,3 कुल 05 विस्वा लेकर भूप्रबंध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 135 रकवा 05 विस्वा गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है, जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 165/0.04 है0 बनाया गया है। बंदोवस्त विभाग द्वारा यह कार्य गलत प्रकार से

(3)

किया है, जबकि बंदोवस्त विभाग को आराजी को रास्ता दर्ज करने का अधिकार नहीं है । वर्तमान इन्द्राज के आधार पर अपीलान्त को 0.01 हैक्टर पर अतिक्रमी दिखाते हुए दिनांक 05.08.2019 को बेदखल करने के आदेश नायब तहसीलदार नदबई द्वारा किये गए हैं तथा 18 रूपये पैनल्टी भी अपीलान्त के विरुद्ध कायम की गई है, जो गलत है । अपीलान्त के अभिभाषक का यह भी कथन है कि अपीलान्त द्वारा उक्त खसरा नम्बर के 01 एयर रकवे पर कोई भी अतिक्रमण नहीं किया गया जबकि कथित अतिक्रमण का रकवा तो अपीलान्त का ही है, जिसकी दुरुस्ती बावत नियमित वाद सहायक कलक्टर नदबई के न्यायालय में विचाराधीन है । अतः तहत न्यायालय द्वारा अपीलान्त के आदेश विधि विरुद्ध पारित किया गया है, जो विधि सम्मत नहीं है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जावे ।

रेस्पोजेन्ट पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि हाल खसरा नम्बर 165/0.04 है0 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है, जिसका उपयोग सार्वजनिक रूप से रास्ते के रूप में किया जा रहा है । अपीलान्त द्वारा रास्ते की जमीन के 0.01 है0 पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध किया गया है । दिनांक 09.09.2019 को हल्का पटवारी व भू-अ0 नि0 द्वारा मौका रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलान्त का खसरा नम्बर 165/0.04 है0 के 0.01 हैक्टर पर अतिक्रमण दर्शाते हुए खसरा नम्बर 165 गै0मु0 की पैमाइस कर निशानदेही की गई है तथा ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध जे.सी.बी. मशीन से अतिक्रमण को हटा कर रास्ता खुलवाया गया है । इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्त के अतिक्रमण की स्पष्ट रिपोर्ट नायब तहसीलदार नदबई के समक्ष पेश की गई है । उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहत न्यायालय ने विधिवत सुनवाई कर दिनांक 05.08.2019 को आदेश पारित किया है जो विधि अनुकूल है । अतः अपील अपीलान्त खारिज की जावे ।

हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया । पत्रावली का अवलोकन कर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार नदबई से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक /सतर्कता/20/1400 दिनांक 11.02.2020 के संलग्न हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 10.02.2020, मौका रिपोर्ट दिनांक 21.06.2019 तथा तहत पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2019 व रिपोर्ट पटवारी दिनांक 24.06.2020 व नक्शा

(4)

ट्रेस, हाल जमाबंदी तथा खसरा गिरदावरी के अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से जाहिर है कि अपीलार्थीन खसरा नम्बर 165/0.04 हैक्टर रिकार्ड के अनुसार गै0मु0 रास्ते के रूप में दर्ज है। खसरा गिरदावरी वर्ष 2019–2020(संवत् 2076) में खसरा परिवर्तित में चिम्मन पुत्र छिद्दा जाति जाट (अपीलान्ट) द्वारा 0.01 है0 गैर मुमकिन रास्ता पर चरी की फसल किये जाने का स्पष्ट इन्द्राज हो रहा है, जो यह सिद्ध करता है कि अपीलान्ट द्वारा ख0नं0 165/0.04 है0 के 0.01 है0 पर चरी की फसल बोकर अतिक्रमण किया हुआ है । पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार नदबई की रिपोर्ट दिनांक 11.02.2020 मय रिपोर्ट पटवारी दिनांक 10.02.2020 तथा मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी व भू-अभिलेख निरीक्षक दिनांक 21.06.2019 तथा मौका रिपोर्ट दिनांक 09.09.2019 में सम्मिलित रूप से इस तथ्य का स्पष्ट अंकन किया गया है कि ख0नं0 165 गैर मुमकिन रास्ता के रूप में दर्ज रिकार्ड है और उक्त गै0मु0 रास्ता के 0.01 है0 पर अपीलान्ट द्वारा चरी (ज्वार) की फसल बोकर अतिक्रमण कर रास्ता को अवरुद्ध किया हुआ है अर्थात् समस्त उपरोक्त रिपोर्ट्स के आधार पर यह निर्विवाद रूप से सावित है कि अपीलान्ट द्वारा गै0मु0 रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध किया है । इसी क्रम में सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत नाम, पंचायत समिति नदबई के पत्र क्रमांक 50 दिनांक 14.10.2019 का अवलोकन किया जिसमें उक्त गै0मु0 रास्ते की जमीन पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने का तथ्य अंकित किया गया है। यहां यह बात भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सरपंच/सचिव द्वारा ग्रेवल सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण भी उक्त गै0मु0 रास्ता में दर्शाया हुआ है ,जो इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि खसरा नम्बर 165 गै0मु0 रास्ता है और रास्ते के उपयोग के काम आ रहा है और ग्रेवल सड़क भी मंजूर हो चुकी है,जिसमें से अपीलान्ट द्वारा 15 फुट लम्बाई के रास्ते को जोतकर अपने खेत में मिला लेना स्पष्ट अंकित किया है अर्थात् सरपंच/सचिव द्वारा भी अपीलान्ट द्वारा किये गए अतिक्रमण के तथ्य को अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया है । चूंकि उक्त खसरा नम्बर 165/0.04 है0 वर्तमान में गै0मु0 रास्ता है, जो सार्वजनिक उपयोग में रास्ते के काम आ रहा है, जिस पर अपीलान्ट द्वारा 0.01 हैक्टर में चरी की फसल बोकर अतिक्रमण कर रास्ते को अवरुद्ध किया, जो पटवारी हल्का/ भू-अ0नि0 की रिपोर्ट से स्पष्ट प्रमाणित है । इस प्रकार तहत न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2019 के द्वारा उपरोक्त गैर मुमकिन रास्ता के 0.01 है0 से अपीलान्ट को बेदखल करने के

(5)

आदेश पारित करने एवं लगान की 50 गुना पैनल्टी 18 रूपये कायम किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है । अस्तु अपील अपीलान्त खारिज किये जाने योग्य पाते हैं ।

अतः आदेश है कि :-

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 05.08.2019 की पुष्टि की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ तहत न्यायालय की पत्रावली भेजी जावे ।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर
भरतपुर

